

19.6.24

पत्रावली पेश हुई।  
प्राथीगण वकील उप०।  
पत्रावली वास्ते विप्राथीगण की वकील  
का इन्तगत होकर क्रम-६१ 26.6.24  
को पेश है।

सहायक कलक्टर  
(SDO) धोरीमन्ना

26.6.24

पत्रावली पेश हुई।  
प्राथीगण वकील उप०।  
पत्रावली पूर्व क्रम-६१/११११/२५-६१  
14.8.24 को पेश है।

सहायक कलक्टर  
(SDO) धोरीमन्ना

14.8.24

पत्रावली पेश हुई।  
वादीगण/प्राथीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय में  
विचाराधीन राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 व 209 एवं  
राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
वास्ते खातेदारी बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को जरिये नोट प्रेस  
कर राजस्व वाद/राजस्व आवेदन को इसी स्तर खारीज करने का  
निवेदन किया है। वादीगण/प्राथीगण अधिवक्ता ने इस बाबत  
आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये।  
वादीगण/प्राथीगण अधिवक्ता के निवेदन पर राजस्व वाद/राजस्व  
आवेदन को इसी स्तर पर नोट प्रेस करने पर खारीज किया जाता  
है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) धोरीमन्ना

not press

14.8.24

